रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-959/2026/411/22-02-2026-17(321)/2024

लखनऊ: दिनांक:16 जुलाई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दिनेश उर्फ लम्बरी (बन्दी सं0-95/12) पुत्र श्री राजेन्द्र नाथ त्रिवेदी, रमवां, थाना-थरियांव, जनपद-फतेहपुर का निवासी है, जिसे प्रथम एस0टी0नं0- 01/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08, फतेहपुर के आदेश दिनांक 28.02.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.04.2023 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। द्वितीय एस0टी0नं0-521/2005 व 523/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,148,506 व 25 आर्म्स एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, फतेहपुर के आदेश दिनांक 23.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.04.2023 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा **प्रथम केस** में दिनांक 13.05.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 05 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 09 माह, 29 दिन एवं **द्वितीय केस** में दिनांक 13.05.2025 तक अपरिहार 18 वर्ष, 10 माह, 26 दिन तथा 18 वर्ष, 10 माह, 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-959/2026/411(1)/22-2-2026 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर

3- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित क्रि0अपील सं0-3144-3145/2024 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि**0**) संख्या-13374-75/2023 अभिनेश बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2024 के सन्दर्भ में।

7- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in